रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04062023-246274
CG-DL-E-04062023-246274

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2314] नई दिल्ली, रविवार, जून 4, 2023/ज्येष्ठ 14, 1945
No. 2314] NEW DELHI, SUNDAY, JUNE 4, 2023/JYAISHTHA 14, 1945

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जून, 2023

का.आ. 2424(अ).—जबकि दिनांक 3 मई, 2023 को मणिपुर राज्य में बड़े पैमाने पर हिंसा भड़क उठी और हिंसा के परिणामस्वरूप मणिपुर के कई निवासियों की जान चली गई और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए; आगजनी के परिणामस्वरूप उनके घरों और संपत्तियों को जला दिया गया और उनमें से कई बेघर हो गए।

और जबकि, मणिपुर सरकार ने पत्र दिनांक 29 मई, 2023 के द्वारा, 3 मई, 2023 को और उसके बाद हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं, संकट के कारणों और संबद्ध कारकों की जांच हेतु, जाँच आयोग अधिनियम, 1952 के प्रावधानों के तहत एक न्यायिक जांच आयोग गठित करने की सिफारिश की है;

जबकि केंद्र सरकार की राय है कि मणिपुर में हिंसा की घटनाएं नामक सार्वजनिक महत्व के एक निश्चित मामले की जांच करने के उद्देश्य से एक जांच आयोग नियुक्त करना आवश्यक है;

इसलिए, अब, जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा एक जांच आयोग नियुक्त करती है, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति शामिल हैं: -

I.	माननीय न्यायाधीश अजय लाम्बा, पूर्व मुख्य न्यायाधीश, गुवाहाटी उच्च न्यायालय	अध्यक्ष
II.	श्री हिमांशु शेखर दास, भा.प्र.से (सेवानिवृत्त): असम–मेघालय:1982	सदस्य
III.	आलोक प्रभाकर, भा.पु.से (सेवानिवृत्त): तेलंगाना:1986	सदस्य

2. आयोग के विचारार्थ विषय निम्नानुसार होंगे:

(i) आयोग निम्नलिखित मामलों के संबंध में जांच करेगा:

क. दिनांक 3 मई 2023 को और उसके पश्चात मणिपुर राज्य में विभिन्न समुदायों के सदस्यों को लक्षित करते हुए हिंसा और दंगों के कारण और प्रसार;

ख. घटनाओं का क्रम और ऐसी हिंसा से संबंधित सभी तथ्य;

ग. क्या किसी जिम्मेदार प्राधिकारियों/व्यक्तियों की ओर से इस संबंध में कोई चूक या कर्तव्य में लापरवाही हुई थी;

घ. उक्त हिंसा और दंगों को रोकने और उनसे निपटने के लिए किए गए प्रशासनिक उपायों की पर्याप्तता;

ङ. जांच के दौरान प्रासंगिक पाए जा सकने वाले मामलों पर विचार करना।

(ii) आयोग द्वारा निम्नलिखित के संबंध में भी जांच होगी:

क. ऐसी शिकायतें या आरोप जो आयोग के समक्ष किसी व्यक्ति या संघ द्वारा इस तरह के प्रारूप में और ऐसे हलफनामों के साथ किए जा सकते हैं, जैसा कि आयोग द्वारा निर्दिष्ट किया गया हो, और

ख. अनुच्छेद 2(i) (क) से (ङ) तक के संबंध में ऐसे उदाहरण, जो मणिपुर सरकार द्वारा आयोग के संज्ञान में लाए जा जाते हैं।

3. आयोग अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को यथाशीघ्र, परन्तु अपनी पहली बैठक के छः महीने से अधिक नहीं, प्रस्तुत करेगा।

4. आयोग, यदि उचित समझे, पैरा 2 में उल्लिखित किसी भी मामले पर केंद्र सरकार को उक्त तिथि से पहले अंतरिम रिपोर्ट दे सकता है।

5. आयोग का मुख्यालय इंफाल में होगा।

6. केंद्र सरकार की राय है कि आयोग द्वारा की जाने वाली जांच की प्रकृति और मामले की अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) की धारा 5 की उप-धारा (2), उप-धारा (3), उप-धारा (4) और उप-धारा (5) के सभी प्रावधानों को आयोग के लिए लागू किया जाना चाहिए और उक्त धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्वारा निदेश देती है कि उस धारा की उक्त उप-धाराओं (2), (3), (4) और (5) के सभी प्रावधान आयोग पर लागू होंगे।

[फा. सं. 8/3/2023-एन.ई. I]

पियूष गोयल, अपर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th June, 2023

S.O. 2424(E).—Whereas on 3rd May, 2023, large scale violence broke out in the State of Manipur and as a result of the violence, many residents of Manipur lost their lives and several other got seriously injured; their houses and properties were burnt down as a result of arson and many of them were rendered homeless.

And whereas, the Government of Manipur recommended on 29th May, 2023 for institution of Judicial Inquiry Commission to look into the causes and associated factors of the crisis and the unfortunate incidents happened on 3rd May, 2023 and afterwards under the provisions of the Commissions of Inquiry Act, 1952;

And whereas, on the recommendation of the Government of Manipur, the Central Government is of the opinion that it is necessary to appoint a Commission of Inquiry for the purpose of making an inquiry into a definite matter of public importance, namely, incidents of violence in Manipur;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952), the Central Government hereby appoint a Commission of Inquiry consisting of following:

I.	Honourable Justice Ajai Lamba, former Chief Justice of Gauhati High Court	Chairperson
II.	Shri Himanshu Shekhar Das, IAS (Retd.): AM: 1982	Member
III.	Shri Aloka Prabhakar, IPS (Retd.): TL:1986	Member

2. The Terms of Reference of the Commission shall be as follows:

(i) The Commission shall make inquiry with respect to the following matters:

a) the causes and spread of the violence and riots targeting members of different communities, which took place in the State of Manipur on 3rd May 2023, and thereafter;

b) the sequence of events leading to, and all the facts relating to such violence;

c) whether there were any lapses or dereliction of duty in this regard on the part of any of the responsible authorities/individuals;

d) the adequacy of the administrative measures taken to prevent, and to deal with the said violence and riots:

e) to consider such matters as may be found relevant in the course of inquiry.

(ii) The inquiry by the Commission shall also be in regard to:

a) complaints or allegations that may be made before the Commission by any individual, or association, in such form and accompanied by such affidavits, as may be specified by the Commission, and

b) such instances relatable to Paragraph 2(i) (a) to (e) as may be brought to its notice by the Government of Manipur.

3. The Commission shall submit its report to the Central Government as soon as possible but not later than six months from the date of its first sitting.

4. The Commission may, if it deems fit, make interim reports to the Central Government before said date on any of the matters mentioned in paragraph 2.

5. The headquarters of the Commission shall be at Imphal.

6. The Central Government is of the opinion that, having regard to the nature of the Inquiry to be made by the Commission and other circumstances of the case, all the provisions of sub-section (2), sub-section (3), sub-section (4) and sub-section (5) of section 5 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952), should be made applicable to the Commission and the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the said section 5, hereby directs that all the provisions of the said sub-sections (2), (3), (4) and (5) of that section shall apply to the Commission.

[F. No. 8/3/2023-NE. I]

PIYUSH GOYAL, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2023.06.04 15:22:07 +05'30'